

319 **Parliamentary Committees— AUGUST 28, 1978 Shooting dead of two Harijans in Rohtak Distt. (CA)**

[Shri Saugata Roy]

in the House at Zero Hour. I do not know whether such a motion has been moved or given notice of. It was not circulated along with the list of business today. But I find in the papers that a no-trust motion is being put...

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is the business of the Party concerned whether they want to move or not.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Have you got any notice?

MR. DEPUTY SPEAKER: On the one hand you say that it should not be divulged to the press, this and that and on the other hand you are asking in the House whether I have received notice (*Interruptions*) Mr Vayalar Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I am rising to seek a clarification from you. I have given notice of breach of privilege against Shri Raj Narain—under rule 334A—because Mr. Raj Narain made a statement that he was moving a motion of privilege against the Prime Minister. I have nothing against that, he can do whatever he wants...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have received your notice. I have to go through the newspaper report which you have mentioned. Without going through that, I cannot take a decision. I shall revert to it tomorrow.

**PARLIAMENTARY COMMITTEES—
SUMMARY OF WORK**

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the 'Parliamentary Committees—Summary of Work' (Hindi and English versions) pertaining to the period 28th March, 1977 to 31st May, 1978.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, we take up the call-attention... (*Interruptions*) I will have to look into it before you can raise it in the House. There are so many notices, and I will have to look into the notices and take

decisions on them. Some of them have been received only this morning. Please do not rise up in the House and try to air your notices. Notices are notices and they will be taken notice of, and only after they have been taken notice of that decisions will be made.

Now, we take up the Call-Attention. Mr. Sarsonia.

12.05 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**REPORTED INCIDENT OF TWO HARIJANS
HAVING BEEN SHOT DEAD IN VILLAGE
MORKHERI (HARYANA)**

श्री शिव नारायण सरसुनिया : (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं अबिलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक बक्तव्य दें :—

“ग्राम मोरखेड़ी, जिला रोहतक (हरियाणा) में दो हरिजनों के गोली से मार दिये जाने और कई अन्य के घायल हो जाने की घटना का समाचार”।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : महोदय, सरकार 21 अगस्त, 1978 को हरियाणा के जिले रोहतक के मोरखेड़ी गांव में घटी घटना जिस में दो हरिजन मारे गये तथा छः अन्य घायल हुये की निम्ना करती है और शोक प्रकट करती है ।

हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ले के दो खाली प्लाटों पर पिछले तीस सालों से एक दिवानी मुकदमा, एक ओर सर्वश्री सये, चन्दन जो अनसूचित जाति के थे और दूसरी ओर उसी गांव के एक सर्वांग हिन्दू श्री उदयसिंह के

बीच चल रहा था। इस बीवानी मुकदमे का तैयारी उदयसिंह के पक्ष में हो गया जिसने इस घटना के लगभग दो महीने पहले एक चार दीवारी बनवाई थी। श्री चन्दन, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अनुसार इस चार दीवारी ने उन्हें उनके मकानों में जाने से रोक दिया था। 21 अगस्त, 1978 की रात के लगभग 11 बजे श्री समे तथा सात अन्य जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती रत्नी तथा दो अन्य महिलायें शामिल थीं इस चार दीवारी को गिराने लगे। उदयसिंह के पुत्र श्री जयपाल और राजपाल ने अपने मकान की छत से चिल्ला कर कहा कि यदि वे पीछे नहीं हटते तो वे उन पर गोली चला देंगे। इस के पश्चात् उदय सिंह ने छत से दो गोलियां चलाई जिस में एक महिला बिमला सहित पांच व्यक्ति घायल हो गए। कि उदय सिंह और उस के दो पुत्र नीचे उतर कर प्लाटी पर आए और 5-6 गोलियां चलाई जिस के फलस्वरूप श्री समे और उनकी पत्नी रत्नी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। एक अन्य महिला पानो को चोटें आई। इस प्रकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल मिला कर दो व्यक्तियों की जानें गई और छः अन्य के चोटें आई।

श्री चन्दन को शिकायत पर सांपला जाने में 21 अगस्त को प्रार्थना एक्ट की धारा 27/54/59 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/34 के अधीन एक केस दर्ज किया गया। तीन अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बन्धुक जब्त करली गई है। डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर ही आए हैं। इस घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को तथा जिन के चोटें आई

हैं उन को अनुकूल मुकदमे अनुकूल राहत दी गई है।

हरियाणा सरकार के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

श्री सिधनारायण सरसुम्निक : उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न जो बकसब पड़ा गया है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं मौके पर जा कर प्रायः हूँ और हमारे साथ पांच और भी संसद सदस्य गए थे। जिस जगह यह घटना हुई है वहां पर पहले तो तय करके उन को इस तरह से मारा गया है क्योंकि उस गांव में जाने का एक तरफ से रास्ता पहले ही जलमग्न था, केवल एक रास्ता बाकी था, वह भी 19 तारीख को वहां की नहर काट कर गांव वालों ने पहले ही जलमग्न कर दिया था। यह गांव वालों ने बताया कि वह रास्ता पहले ही नहर काट कर पानी से ढुकाया गया। इस से यह सिद्ध होता है कि पहले ही दिन से साजिश बन गई थी। उस दिन एक रैली थी और उस रैली से वे वापस आए थे। इन्होंने वहां पर जाकर कहा कि मोरारजी देसाई जो प्रधान मंत्री हैं उन के बकसब जो लाल किले से दिया गया को मैं बघाई देता हूँ कि उन्होंने एक बच्छा स्टैप लिया था। उस की दोहाई देते हुए कि वह हाई कोर्ट के बर्डिकट को भी नहीं मानते और हमारे हक में यह फैसला हुआ है, इस लिए इस जमीन पर हम इस तरह से कब्जा करेंगे, यह कहते हुए वहां पर जाकर उन्होंने गोलियां चला कर लोगों को भून दिया। सारी रात वहां पर गोली बरसती रही। मिनी कर्फू लगा रहा। कोई भी आसानी वहां पर गांव का घर से बाहर नहीं निकला। हम दोनों पक्षों के पास गए हैं, वहां के जाटों के पास भी और

[श्री शिवनारायण सरस्वतिया]

हरिजनों के पास थी। जाटों ने स्वयं इस बात को माना कि उस रात शाम को 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक बराबर गोली चलती रही। इसलिए पुलिस के द्वारा या सरकार की तरफ से यह जो बताया गया है कि वहाँ पर केवल पांच गोलियाँ चलीं, यह ठीक नहीं है। वहाँ तो रात भर गोलियाँ चलती रहीं, यह वहाँ के दूसरे स्थानीय लोग भी बताते हैं।

दूसरी बात — यह भी कहते हैं कि उन को अनुग्रह की राशि दी गई। यह रेडियो पर हम ने सुना और भ्रष्टचारियों में पढ़ा कि पांच पांच हजार रुपया मृतकों के परिवार को और एक एक हजार रुपया जो कहते हैं, तीन-तीन हजार तक बढ़ा दिया गया है, इन्फंड को दिया गया। साथ ही पांच पांच सौ रुपया डिप्टी कमिश्नर ने रेडक्रॉस से दिया है। लेकिन मैं बताया चाहता हूँ कि अभी तक उन को एक घंटा भी नहीं दिया गया। सब झूठ है।

इस के साथ साथ यहाँ की हमारी एक संसद सदस्या ने भ्रष्टचारियों में यह स्टेट-मेंट दिया है कि उन को यह राशि न दी जाय। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह राशि जो एनाउंस की है, मुख्यमंत्री ने उन संसद सदस्या से पूछ कर क्यों नहीं एनाउंस की? यह भ्रष्टचारियों में भ्रष्टा है, उन्होंने क्लेम किया है कि जब तक यह कैसला न हो जाय कि अभियुक्त कोन था तब तक उन को यह राशि न दी जाय। क्या इसी कारण से राशि रुकी हुई है? (अध्यक्ष) वहाँ के एम० एल० ए० हैं श्री संत कुमार जिनका इस प्रकार बयान भ्रष्टचार में भ्रष्टा है और उस दिन जो रैली हुई थी उसको यहाँ की एक संसद सदस्या ने एग्जैट किया। (अध्यक्ष)

उपरोक्त बयान : आप मुझे एग्जैट कीजिए।

श्री शिवनारायण सरस्वतिया : वहाँ पर पोस्टर लगे हैं—खुली दुकान हमारी और बन्द दुकान तुम्हारी। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर थी जिससे प्रेरित हो कर उन्होंने कहा कि देखो, प्रधानमंत्री किस तरह से बचाते हैं? यह कह कर उन लोगों को गोली से मारा गया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सारी रात गोली चलाई। जो पति पत्नी थे, जिन के साथ सन् 50 से मुकदमा चल रहा था उसका लीबर कोर्ट ने पहले हरिजनों के हक में फैसला दिया था। मैं ने वहाँ पर जाकर मोका देखा है, हरिजनों के घर से जाने के लिए केवल-मात्र एक रास्ता बंद था जिसको उन्होंने दीवार खड़ी कर के रोक दिया। यह ठीक है कि सन 73 या 74 में हाई कोर्ट ने उदय सिंह के हक में फैसला हुआ था लेकिन तब से दीवार नहीं बनाई गई थी। वह दीवार एक विशेष प्रक्रिया में बनाई गई। (अध्यक्ष) जिस समय यह दीवार खड़ी की गई उस समय भी हरिजनों ने कहा था कि आप हमारा रास्ता रोक देना चाहते हैं, हम किस तरह से अपने घरों में जायेंगे? हम दीवार नहीं बनने देंगे। उस के ऊपर 107 और 151 में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के हिसाब से, जिस अभियुक्त ने वहाँ पर दीवार खड़ी की है उस से बन्धूक ले लेनी चाहिए थी लेकिन अभी तक उसी तरह से उसको बन्धूक दे कर रखी गई है और उसका यह परिणाम निकला। इस तरह से यह एक बड़ी भारी साजिश थी और एक लहर की कड़ी थी। कंठाबला में जो कोठ चल रहा है उसके साथ सबान यह खड़ा होता है कि आज तक जो कल्याण के श्रावधान हुए हैं या जमीन सुधार के जो काम

बनाए गए हैं या सिविलियन में हरिजनों के लिए जो वायव्य किए गए हैं क्या उनमें यह संकेत और सरकार मुकर आयेगी ? क्या इस तरह से देश में जो लोग वीवारें खड़ी कर रहे हैं उन से सखी के साथ निपट कर उन को इस बात के लिए तैयार किया जायेगा कि वे सिविलियन को मानकर इस के अनुसार आचरण करें ? (ब्यवधान) मैं यह इस लिए बता रहा हूँ कि एक जगह पर यहाँ जो खून बहाया गया है उसके बाद और भी जगहों पर खून बहाया जायेगा । (ब्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वस मिनट बोल चुके हैं ।

श्री सिविलियन सरसुनिया : मेरे पास दिल्ली के बीसों गाँवों से रिजिजेंटेशन आए हैं । उन को पीटा जा रहा है, उन के बच्चों को मारा जा रहा है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Sarsonia, you will have to end it. You can only ask for clarifications. But, you cannot go on making a speech.

श्री सिविलियन सरसुनिया : मैं आप से माँग करता हूँ कि जितने भी इस तरह के सम्मेलन और रैलियाँ हैं उन के ऊपर नियंत्रण किया जाये और दिल्ली तथा हरियाणा के जितने देहात हैं जहाँ पर इस तरह की लहर चल रही है और हरिजनों को बहाया जा रहा है वहाँ पर फौरी तौर से जितने भी पुलिस-आर हैं उन के लाइसेंस रद्द कर के सारे पुलिस-आर जमा करवाये जायें । उपाध्यक्ष महोदय, उन को धमकाने-रहित सभी तक पहुँची भी गई है । कर्मिक में उनके

पास प्रत्यक्षता में निष्कार कसबा हूँ । उनके घर भी बना था, हर एक भावनी से वहाँ मिला और वहाँ जितने लोग थे । सब से यही बतलाया कि पति और पत्नी के मोली से बरने के बाघ कुछ लोगों ने उनको बरछे से काटा । यह वहाँ पचासों लोगों ने बतलाया । लेकिन जब हम एस० एस० पी० से मिले और उनसे पूछा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनी, एक बाँट बँटा कर सब तैयार की गई, यह बलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरसुनिया जी, आप बोलें जा रहे हैं... (ब्यवधान)...

श्री सिविलियन सरसुनिया : क्या हम जीवित रहें या मर जायें—यह प्रश्न है । प्राज हिन्दुस्तान भर में इस तरह का बातावरण बन रहा है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं—आप सुनिये...

श्री सिविलियन सरसुनिया : इन्होंने तीन घादमियों को गिरफ्तार किया है । मैं पूछना चाहता हूँ कब गिरफ्तार किया है...

MR. DEPUTY SPEAKER : Please take your seat now. I know it is a very serious issue and I will allot time according to that. Please resume your seat now. Nothing will go on record.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : Let me make it very clear to the other hon'ble Members that just because a certain sections gets up and makes some kind of demonstration, I am not going to break the rules. You can take it from me. I know the seriousness of the issue being discussed and accordingly I know how much time is to be allotted. There is no use just trying to pressurize me.

SHRI RAM DHAN (Lalganj) : You should adhere to the rules for every person.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ram Datta, as far as I am concerned I will abide by the rules for every person. You have made very uncharitable remark. I know you do not mean it. I do not make any distinction between member and member to whatever party he belongs even at the cost of becoming angry. Please take your seat now.

(Interruptions)

श्रीमती चन्दावती : (बिजानी) : इन्होंने मेरा नाम लिया है...

MR. DEPUTY SPEAKER : There are only five names and your name is not there.

श्री धनिक लाल मण्डल : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद जो सर्कमस्टेंस हैं—उसको लिया जाय, तो उससे इस बात का आभास नहीं मिलता है कि यह घटना पूर्व-निर्धारित थी। महोदय, 11 अगस्त रात में, जैसा मैंने कहा—यह जो प्लाट धाक लौट है, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला हो चुका था और उदय सिंह के पक्ष में हो चुका था और जिस पर बीवार लड़ी थी—चार-पांच फुट ऊंची, उसको गिराने का प्रयास किया गया और जो सभे साहब हैं और चन्दन...

श्री उपसैन (देवरिया) : वह रिपोर्ट बसत है।... (अव्यथाम्)...

एक भारतीय स्वस्थ : हमने वहां जाकर स्थिति को देखा है—बन्दूक से गोली चला कर हरिजनों को मार कर गिरा दिया गया—घाय कइतों क्या चाहते हैं... (अव्यथाम्)...

श्री धनिक लाल मण्डल : बच्ची सरह ले पांच कर ली गयी है, सभी सम्बन्धित लोगों को पांच कर ली गयी है। भटना इस प्रकार है। वहां बर्निंग की कमी, वे नहीं डरे, इसलिए नीचे उतर कर बन्दूक चलायी। दो आदमियों की मृत्यु हुई और 6 व्यक्ति घायल हुए। कुल मिला कर साठ फायर हुए। यह बात गलत है कि रात भर गोली चली है।

ऐसी बात नहीं है। (अव्यथाम्) साठ फायर हुए जिनमें दो आदमियों की मृत्यु हुई और छः घायल हुए। यह बच्ची का मामला बहुत दिनों से चल रहा था। बीस करोड़ के यह मामला कोर्ट में था। 1976 में कोर्ट के फैसला हुआ। यही दो महीने पहले उस पर बीवार बनी थी। यह कहना कि यह घटना पूर्व-निर्धारित थी, यह प्रतीत नहीं होता है। इस घटना को कंजहवाला घटना से या रोहतक में जो किसान रैली हुई, उससे जोड़ना भी ठीक नहीं लगता है। यह गांव रोहतक से 35 किलोमीटर पर है। (अव्यथाम्) मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है।

श्री इयाम सुन्दर लाल (बयाना) : यह सारे ब्रह्मचारों में लिखा हुआ है कि वहां बहुत टेंशन है, इसके लिए धाय क्या कर रहे हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Shyam Sunder Lal, please don't get excited.

उपाध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर।

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : I can understand the anger of my hon. friends on this matter. It is not section against section but it is person against person. Regarding whatever is going on in Kanjhwala, we are taking full steps to see that if any wrong is done, it will be met very sternly and properly. I have given strict instructions to the Police Commissioner and the Police Officers about it. In the whole area there is something going on as it appeared from the papers and we are alive to it. Whatever steps are necessary we will take to see that they are not able to do mischief. That is what we shall do. But this was a long-standing case. Then, if the wall is created, and even if they were right in creating the wall, these people were wrong in raising any objection to it. They had no business to open fire and on that score I have no doubt. Nobody can

take the law into their own hands like that. The moment I learnt about it, I phoned to the Chief Minister and asked him to take immediate steps and the persons concerned have been arrested.

एक माननीय सदस्य : वहाँ 24 फायरे हुए हैं ।

SHRI MORARJI DESAI: There is always a little time-lag in this matter. But when I had talked to him, I talked to him on the very day it appeared in the papers. That is how I learnt about it; otherwise I would not have learnt about it. That very day he told me that they were arrested. Then he has given some help but I am told that it has not reached them. We will see that it reaches them quickly. There is no question of anybody saying that help should not be given. No other view is going to prevail. All steps will be taken to see that that is not extended to any other area nor anything done like that. Whatever hard steps have to be taken will be taken.

श्री राम विशाल पासवान (हाजीपुर) : एक कहावत है "ज्यों ज्यों बका की मर्ज बढ़ता गया" । इसी सदन में अब हम लोगों का कुछ कहने में भी नहीं बनता है । जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो कहा जाता है कि हम हमेशा रिपीट करते हैं और यही जबाब दे दिया जाता है । यदि रोज बटमारों बटें, रोज हत्याएँ हों तो क्या पूछा जाए ? जिसकामन भी इस पर बोलता है । मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं क्या उनका इम्प्लेमेंटेशन भी होता है । अमरका ध्यान दिलाया जाहता है कि इस सदन में अशांति के सम्बन्ध में अशांतिपूर्ण प्रस्तावों में मैंने पूछा था कि क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि बहुत लोग कंगडिल होकर अशान्तिपूर्ण प्रवृत्ति कर रहे हैं ? तब

माननीय गृह राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि सरकार इस के बारे में एक्टिव है और सरकार ऐसा करेगी जो इजाजत नहीं देगी । वीसाकुमा भी । के लोग प्रधान मंत्री जी के यहाँ भी पहुंच गए । क्या इस तरह की जो बटमारों बटती हैं तो केन्द्रीय ब्रिगिमेंट्स के लोग बटमा स्वयं पर पहुंचते हैं या कोई के ड्रियटोम बटना स्वयं पर जाती है ? अगर नहीं तो क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार जो रिपीट दे देती है उसकी को यहाँ पढ़ कर सुना दिया जाता है । मैं समझता हूँ कि यदि केन्द्रीय अध्ययन दल वहाँ जाएं तो वह वस्तु स्थिति का दूसरे तरीके से पता लगा करके आपकी बता सकता है और आप इस सदन को जानकारी दे सकते हैं और उस के दूसरे रिजल्ट निकल सकते हैं ।

शुरू में कहा गया था प्रधान मंत्री जी के द्वारा कि जहाँ कहीं भी हड़दलों के ऊपर आयाचार किए जाएंगे वहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक अथवा जिला अधीक्षारी हैं उनको दंडित किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज तक पूरे देश के विभिन्न भागों में, प्रत्येक राज्य में नहीं तो क्या बहुसंख्यक राज्यों में इस तरह की अशांति-बन्दी है, क्या किसी भी पुलिस अधीक्षारी को, आरक्षी अधीक्षक को या जिला अधीक्षारी को आज तक दंडित किया गया है या नहीं किया गया है ?

302 के जितने मुकदमे इन केसिस में चलाए जाते हैं देखने में आया है कि शीड-यल कास्टेस और ट्राइबल कमिश्नर की रिपोर्ट यह होती है कि पांच प्रतिशत लोग भी दीर्घ नहीं पाए जाते हैं और सभी लोग छूट जाते हैं । हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते सभी लोग बरी हो जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हत्याएँ होती रहती हैं । यह जो बटमारों का विलासिता चल रहा है मैं समझता हूँ कि यह इसी

[श्री राम विद्यालाल पासावान]

तरह से चलता रहेगा। भविष्य में जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है कहीं क्या प्राप तुरन्त केन्द्रीय पल भेजेंगे? साथ ही सरकार ने जो यह कहा था कि जिला प्राधिकारी, एस० पी० आदि को तुरन्त सस्पेंड किया जाएगा, जिसबाब कर दिया जावेगा, क्या वह इस को भी करेगी? जहाँ तक कोर्ट का मामला है क्या प्राप स्पेशल कोर्ट बिठा करके तुरन्त जजमेंट दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री छानिक लाल मण्डल : कंझावला की जो बात मामनीय सदस्य ने उठाई है उस के सम्बन्ध में मैंने जो प्राश्नासन दिया था उस पर मैं अब भी कायम हूँ। वहाँ पर सभी प्रकार के प्रिबेंटिव मोजेबे लिए जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई दुबटना न घटने पाए।

एक मामनीय सदस्य : बन्धुकों वगैरह जमा करना भी है?

श्री छानिक लाल मण्डल : यह आदेश दिया जा चुका है कि जहाँ कहीं भी तनाव है और....

श्री हवाल मुखर लाल : वहाँ बहुत तनाव है।

श्री छानिक लाल मण्डल : इस के बारे में आदेश भी है और ऐसा करने का विचार भी चल रहा है।

यह भी पूछा गया है इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए क्या किया जा रहा है। इस को स्पष्ट कर दिया गया है। प्राप तो जानते ही हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हुई है वहाँ या तो ज्यूडिसल इनक्वायरी हुई है या पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है मैजिस्ट्रेट कार्ट और ट्राइब्युनल की उसको इजाजत मिली है जाने की। इस को प्राप जानते ही हैं।

श्री हवाल मुखर लाल : यह मेलाख से कोई टीम जाती है या नहीं? स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में मैंने पूछा है, उसका भी जवाब नहीं मिला है। समरी ट्रायल की व्यवस्था क्या प्राप करेंगे? एस० पी० आदि को सस्पेंड करने की बात का भी जवाब नहीं मिला है।

श्री छानिक लाल मण्डल : मैंने कहा है कि जहाँ कहीं भी हरिजनों पर अत्याचार की घटना होती है जिस में मृत्यु होती है तो उस घटना की जांच के लिए यदि राज्य सरकार ज्यूडिसल इनक्वायरी की व्यवस्था नहीं करती है तो वहाँ से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको जाने की इजाजत दी जाती है और वी गई है (इंडरवाच)।

श्री हवाल मुखर लाल : एस० पी० को क्या कभी प्रापने सस्पेंड किया है?

SHRI MORARJI DESAI: The hon. Members are spoiling the case by excitement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, that is what I do not understand.

SHRI MORARJI DESAI: It is a murder case, which is going to be tried by a sessions court. How can there be any further and a different inquiry? That ought to be understood. The case has been registered, it will be prosecuted with whatever speed is necessary. That will be done, but there cannot be a judicial inquiry into this.

जी जयल राज (शिकारी) : जमानाज महोदय, जयलपुर में प्राधिकारियों के हत्याकांड के बाद रोहतक जिले के मोरबेड़ी गांव में हरिजनों का बहुत ही खर्नाक कलस हुआ है और इसमें दो हरिजन, जिनके नाम जी सने और उसकी पत्नी श्रीमती रतनी है, यह गोशियों की बीछार से मारे गये हैं और 6 लोग जखमी हुए हैं। जो जखमी हुए हैं वह बुरी तरह जखमी हुए हैं, उन के जगह, जगह गोली लगी है। हम 5 प्राधिकारियों की एम०पी० की टीम उन को देख कर भायी है। किसी के मूंह में, किसी के कान में, किसी के हाथ में, और किसी के पेट में गोशियां लगी हैं। यहां तक कि उन में एक 14, 15 साल की बच्ची है और एक लड़की गर्भवती है। जो स्टेटमेंट यहां दिया गया है, जो स्टेटमेंट स्टेट गर्नमेंट की तरफ से गृह मंत्रालय को भेजा गया है यह बहुत ही गलत है। इस में बहुत से फेक्ट्स छिपाये गये हैं। मैं इसी रिपोर्ट को लेकर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यह बताया गया है कि :

"The civil case was decided in favour of Uday Singh who then constructed the boundary wall about two months prior to this incident."

और जब उन्होंने चारबिचारी खींची थी तब भी झगड़ा हुआ था और 107/151 का केस खर्च हुआ था जाने में जो इत में यहां नहीं बताया गया है। अगर यह बता दिया जाय तो पुलिस अधिकारियों की सापरवाही साबित हो जाती है, सरकार की सापरवाही साबित हो जाती है। जब यह केस खड़ा हुआ था तो सरकार ने प्रोबेटिव मेचर्स क्या नहीं लिए? बन्सूक को क्यों नहीं डीमा गया? अगर ऐसा किया गया होता तो यह घटना नहीं घटती। इसलिये यह ख़ास पीईई है जिसको इस रिपोर्ट में कमजोर किया गया है। और यह भी बताया

गया कि इनपुब्लिक जिनमा, बिचकी कि औरत बताया गया है। जब कि यह कोई औरत नहीं है बल्कि 13, 14 साल की नासुब बच्ची है जिसको बुरी तरह से गोशियों से भूब दिया गया है। और यह जो बताया गया है कि 5, 6 राज्जब यहां गोभी लकी है, ऐसा नहीं है। यहां पर हमें बताया गया कि 5, 6 राज्जब नहीं बले बल्कि इतने राज्जब बले हैं कि सारी रात 15, 20 मिनट के बाद गोली चलती रही। एक तरह से ज़िमी करण्य लगा रहा। इस बात को स्टेटमेंट में छिपाया गया है। हमें यहां से पता चला है कि बाब में जो मृतक हैं उनको बंडासे से काटने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस इसको छिपाने की कोशिश कर रही है। पनवई या पनो नाम की लड़की का यहां पर मंका है और अपने बाई को राखी बांधने भायी थी और गर्भवती है, और जब पेशाब करने के लिये निकली तो गोशियां की बीछार की गई और सारी की सारी छलनी कर दी गई।

यह भी बताया गया है कि यह केस 21 को रजिस्टर कर लिया गया। तो जो कलमिद्स हैं उन को 72 बंटे के बाद पकड़ा गया है, यह इसमें नहीं बताया गया है। और भी यहां पर कुछ लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं गया है। यह हमें यहां लोगों ने बताया है। इसमें भागे यह भी बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर और सीनियर एस० पी० यहां पर गये। यह गये जरूर हैं। लेकिन कब गये? 23 तारीख को गये। कितने जर्म की बात है कि यहां का एम०एस०ए० भी अभी तक बटनास्पल पर नहीं पहुंचा है, न कोई मंत्री पहुंचा है और न मुख्य मंत्री पहुंचे। यह भी कहा गया है कि उनको वाण्ट दी गई है। हमें बताया गया है कि कोई वाण्ट उनको नहीं दी गई है। मैं इस के बारे में बताना चाहता हूं कि यह जो घटना है यह ख़ास अपने आप में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि श्रीमान्

[श्री: भगत राम]

बघती है और इसका पिछला इतिहास है। इस के पीछे जाता कि जेरे से पहले बोलने वाले श्री सरभूनिया जी ने कहा, एक बड़ी लम्बी कहानी है। यह सब प्री-प्लैन्ड था। अगर प्री-प्लैन्ड न होता तो इतने आश्चर्य न मरते। मेरी वह भी मान्यता है कि जनता पार्टी की फूट भी इसमें एक कारण है। कलाकला में जो बटना हो रही है वह भी यहाँ एक कारण है। भाप श्री सन्त लाल एम०एल०ए० और श्री बेबीलाल का स्टेटमेंट देखिये, वह क्या कहते हैं। यहाँ के लोग वहाँ ग्लैटर भेज रहे हैं। यहाँ की बटना उसका ही रिक्ली-बशन है। जनता पार्टी के झगड़े इस को बहावा दे रहे हैं। बर्ग संघर्ष को यह कास्टबार्ड जाट और हरिजनों के झगड़े का रंग बियज जा रहा है। ऐसी बटनाएं हमारे देश के लिए बड़ी घमंताक हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: You will have to end now.

श्री भगत राम : प्रधान मंत्री जी ने इन बटनाओं को दबाने के लिये कुछ ऐलान किये हैं, वह अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन बोड़े से ऐलानों से कुछ होने वाला नहीं है। इन झगड़ों की बुनियाद में जाना चाहिये। तभी यह हल हो सकते हैं।

जितने भी हरिजनों के इस प्रकार के झगड़े हैं, उन् सब को ले करिये, कमजोर सब में यही हरिजनों और बेहिन्दू मजदूरों के वेतन और जमीन का मामला ही आता है। जब कभी जमीन का बंटवारा ठीक नहीं होता, ऐसे झगड़े होते हैं। लैडलार्ड की जमीन बेहिन्दूओं को नहीं दी जाती इसी लिये झगड़ा होता है। यह बड़े-कमजोरों की बात है। कहवारी सरकार इस तरह ध्यान नहीं दे रही है।

MR. DEPUTY SPEAKER: I have been repeatedly telling you so that you can wind up.

श्री भगत राम : जो लैडलार्ड जाबो है, उनको उरलाह मिल रहा है सरकार के पैसों से। इसलिये मैं सरकार से प्रसीक कर्कगा कि वह इनकी बुनियाद में जाये। (धमकाते)।

MR. DEPUTY SPEAKER: I do not know why you are getting up. There is no provocation for you to get up. Mr. Bhagat Ram, you wind up in one or two sentences. Otherwise, abruptly I will ask you to sit down.

श्री भगत राम : पोलिटिकल पार्टी के लोग भी ऐसे झगड़ों में हिस्सा लेते हैं। मैं सरकार और पोलिटिकल पार्टियों से निवेदन करूंगा कि जो भी पोलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह के झगड़ों में हिस्सा लें, उनके साथ बुरी तरह से पेश आया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. If you persist, nothing will go on record. I have been warning you again and again that you should wind up your speech. I have told you a dozen times. I must make it clear not only to you but to all hon. members concerned. I have given you ample warning. When I say you should wind up, I give you another minute. Again I say you should wind up, and I give you another minute. But if you persist, I cannot tolerate it. You could have wound up, but now you have to end abruptly. Please sit down. Nothing will go on record. Don't take down.

*(Interruptions)***

श्री बनिश लाल मन्सूर : उपस्थित महोदयों यह बटना 21 सप्तीक को रात के 11 बजे बटी 1-सुबह को रिपोर्ट होती है। दूसरे रोज, 22 सप्तीक को, बहादुरपुर के डी०ई० पी० और एस० पी० बहादुरपुर में। यह सही है कि

डी० सी० 23 तारीख को पहुंचते हैं, लेकिन डी० सी० को धीरे जो भी रुपये जमाई दे। इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि इस में प्रकाशन को धीरे से कोई डिवाइड बरती गई है। जहाँ तक रिपोर्ट वेधे को बाक है, मैं ने कहा है कि पांच पांच सी रुपये पांचों परिवारों को 25 तारीख को डी० सी० ने दे दिये, जो रेकॉर्ड सांसायटी से मिले थे। पांच पांच हजार रुपये मृतकों के परिवारों के लिए धीरे तीन तीन हजार रुपये सीरियसली इज्जत के लिए हैं। बाकी जो बाकल है, उस में से प्रत्येक के लिए एक एक हजार रुपये वा. पेमेंट आज कर दिया जायेगा। डी० सी० को 26 तारीख को रुपया मिल चुका है। अब वह उन को पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री बानु कुमार शक्ती (उदयपुर):
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सही है कि इस विषय पर वही माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, जिन के नाम इस कालिग एटेंशन नोटिस में हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो मुझे उठा रहे हैं, माननीय मंत्री उन के उत्तर नहीं देते हैं; तो क्या सारा हाउस मुक दर्जक बन कर देखता रहेगा? क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि मंत्री महोदय उन प्रश्नों के उत्तर दें? मंत्री महोदय ने बताया है कि उन लोगों को इतना इतना रुपया दिया गया है। लेकिन यह रुपया उन लोगों को नहीं मिला है। मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is giving whatever information he has with him. You are satisfied, that is evident. If he is deliberately trying not to answer, I will intervene. You cannot have a say under the guise of a point of order.

श्री डी० सी० गवई (बुलढाना):
उपाध्यक्ष महोदय, बीरबेड़ी में जो अत्यन्त दुखद घटना घटी है, उसके बारे में संघन में कालिग एटेंशन नोटिस के

रूप में बहुत चर्चा रही है। हनुमोर-बेड़ी के घरे-घरे धीरे माननीय सदस्य हमारे सब थे। हक दोनों साइड के लोगों—
हरिजनों धीरे जाटीं—से मिले। वहाँ पर हम ने सही बात को जानने की पूरी पूरी कोशिश की। अभी मंत्री महोदय ने कितना बड़ा उत्तर दिया है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने बताया है कि यह जगह का मामला है। यह सही है कि जगह का मामला बहुत दिनों से कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट ने योकी चलाने वालों के पक्ष में निर्णय दिया था। हम ने हरिजनों के धरों में जाकर देखा। उन बेचारी के धरों में खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऊपर से नीचे पानी न जाये, इसकी कोई सुविधा नहीं है। वे बंशुकरधरियों का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।

जब निर्णय दूसरे लोगों के पक्ष में हो गया, तो हरिजन बेचारे चुप बैठ गये। बे बिनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे जाने के लिए रास्ता दिया जाये, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। उदय धीरे उस के लड़के ने हवा में फायरिंग की धीरे उन दोनों को डराया। वे कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको डराया गया। वहाँ एक दीवार खींची गई। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह दीवार न बनाओ। यह सवाल उन्होंने नहीं उठाया। 21 तारीख को यह घटना हुई ... उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी धीरे न बजावें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: But do not waste your time by saying all this. It is only going to eat into your time.

श्री डी० सी० गवई: उसी तारीख को रोहतक में एक जलसा हुआ, जिसमें जगह धरों के तीन धीरे थे। अखण देते के लिए, धरों को धीरे प्रस्तावों के लिए

[बी डी० पी० नंबर]

उन के नाम मेरे पास हैं—रवि राम हैं, जनेश्वर मिश्र हैं और बन्नाबती जो हैं, एम० पी०। इन्होंने वहाँ पर भाषण दिए। भाषण में उन जमींदारों को जोश दिलाया गया कि जमीन के मालिक तो हम होते हैं, हमारे पास में जमीन कोई छीमने वाला नहीं है। हम मोरार जी को भी नहीं मानेंगे। मोरारजी हरिजनों को बहुत फैसिलिटीज दे रहे हैं, बहुत सहूलियतें दे रहे हैं। हम मोरार जी की भी विरोध करेंगे। उस जलसे को मुन कर विजय और उन के जो लड़के वे और दूसरे लोग, उनके 13 नाम मेरे पास हैं, यह मेरे पास उन की लिस्ट है, मैं नाम बता सकता हूँ, वह लोग नाम में आए। रोहतक से धान में उन को 11 बच गये। रोहतक से आए, उन के सिर पर भूत सवार था हरिजनों को मारने का। वे आए हाथ में बन्दूकें लिए हुए और उन्होंने आवाज दी कि अगर कोई मां का पूत है हरिजनों में तो वह हमारे सामने आ जाय, हम उस को सीधा कर देते हैं। ये लोग बेचारे दब गए। वह सब राम था जिसका घर उस उद्ये के घर के सामने है। जिस पर दीवार खींची है उस के बाजू में सर्म राम का घर है। वह बेचारा छाट पर बैठ गया था तो उस भी ऊपर से गोली मार दी। गोली की आवाज आई। वह बेचारा चावल हो गया। उस की औरत पकड़ने को आई, वह बेचारी चबड़ा गई। उस को भी गोली मार दी। उस को गोली मारने के बाद सारे हरिजनों के घरों पर फायरिंग चालू हो गई। हमारे सदस्यगण गए वे वहाँ पर। ऐसे ऐसे होल बन गए हैं दीवारों में। गोलियाँ बस गई हैं दीवारों में। उस के बहुत से निशान हैं और हमारे मंत्री महोदय बोलते हैं, कि पांच गोलियाँ चलीं। वहाँ पचास गोलियाँ चली हैं, पचास गोलियों के होल हैं, निशान हैं।

सर्म राम मरा नहीं, ऐसा उन को बहाना हो गया कि सब राम तो जिन्दा है,

उस की औरत जिन्दा है, तो फरसी के घर गए उस के घरवाले में और दोनों के हाथ काट लिए। वे दोनों बेचारे मर गये। जिस छाट पर सर्म राम बैठा था उस छाट पर गोली चली, वह खून से लथपथ हुई। उसके नीचे जो गरीब की गुड़की थी, कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, उस गुड़की के ऊपर भी खून चारों बाजू में लगा है। मैंने वह गुड़की ला कर गेट पर रख दी है। अगर सदन देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। यहां सदन में मैं उसे नहीं लाया हूँ।

हमारे मंत्री बोलते हैं कि उन्होंने दीवार गिराना चालू कर दिया था तब गोली चली। उन सब लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वे दीवार गिरा सकते थे? गोली तो भीतर चली, गोली तो घर में चली और गिन गिन कर हरिजनों पर गोली चलाने की साजिश की गई और वह बोलते हैं कि दीवार गिराने लगे तब गोली चली। क्या आप इस केस को कुछ और प्रमाण रूप देना चाहते हैं या और इस देश में हरिजनों को मरवाना चाहते हैं?... (अपवाहान)... ठीक है मैं जल्दी खत्म करूंगा। क्या आप और इस देश के हरिजनों को मरवाना चाहते हैं? क्या इन लोगों ने जो भाषण दिया रोहतक में, इन लोगों के ऊपर आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जिन्होंने जमींदारों को बहकाया? वहाँ जो खून बह गया है, जो लड़कों पर पड़ा है, बच्चे चप्पे पर पड़ा है, पत्थर पत्थर पर पड़ा है, क्या उस खून की कोई कीमत सदन को नहीं है? किसी सदस्य को उस खून की कोई कीमत नहीं है? आप लोग आपस में बात करते हैं लेकिन हरिजनों का खून बहना है तो क्यों नहीं वहाँ जा कर देख कर आते हैं कि वहाँ पर अपने देशवासीयों का, अपने देश-भाइयों का, अपने प्रायमियों का खून बह गया है, क्यों जरा देखने को? न काबिल करते जाते हैं न जनता वाले जाते हैं न (आई) काबिल करते जाते हैं, न डी० पी० एम० वाले जाते हैं, न डी० पी० आई० वाले

जाते हैं। यहाँ सत्र में देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप-देल में सारे हरिजनों को संरक्षित चाहते हैं? (जयबघाल) नहीं नहीं आप लोग यहाँ जाते? नहीं नहीं जा कर देखते हैं? (जयबघाल) तो मैं मंत्री महोदय से जिनती करूंगा, ये 13 नाम हैं जिन लोगों ने उन लोगों पर हमला किया, उन के। मैं यह चाहता हूँ, प्रधान मंत्री जी से जिनती करता हूँ, हाथ जोड़ कर जिनती करता हूँ कि इस देश में हरिजन का भविष्य ठीक नहीं है। और वहाँ पर मुझे मालूम हुआ जब मैं रोहतक हास्पिटल गया, वहाँ पर कुछ किसान बड़े हुए थे उन्होंने कहा मोरारजी के आरोपों पर आप मत कहिए। हम हरिजनों को गांव में घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ 25 आदमी थे, मैंने कहा ठीक है, हमारे ऊपर आप हमला कर देंगे तो हम भी यहाँ के हो जायेंगे। (जयबघाल) हम गाड़ी में बैठे हुए थे और फिर हम चले भाये। तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ कार्यवाही करें, वहाँ के भाजू-बाजू के लोग बबराये हुए हैं। भाजू 30 लोग मेरे पास भाये हुए हैं, मैंने उनको घासरा दिया है, वे गांव में जाना नहीं चाहते हैं। जो भाजू-बाजू के कस्बे के लोग हैं वे भाग रहे हैं। तो क्या करके आप इस देश के हरिजनों को बचायें, उन पर आप दया करें और उनको इस देश से मिटाने की कोशिश न करें। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, सभी मंत्रियों से और संसदसदस्यों से हाथ जोड़ कर जिनती करता हूँ और इसी के साथ भावण समाप्त करता हूँ।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने जमींदारों को उत्तेजित किया कि जाओ, हरिजनों की तलाशो।

में कल्पना है, मेरे सारे जीवन के लिए यह कर्मक है, इस पर मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलना ही चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a procedure for that.

श्री जनेश्वर मिश्र : यह आरोप निम्ना है, बरारतपूर्ण है और जान-बूझ कर मुझे हरिजनों के बीच में और देश के बीच में बद्रताम करने के लिए लगाया गया है। मैं उस मीटिंग में गया था वहाँ पर कहीं किसी ने भी जमींदारों को हरिजनों पर जुल्म करदे के लिए नहीं उकसाया जितनी देर कि मैं वहाँ पर रहा और न प्रधान मंत्री की मान के खिलाफ कोई बात कही गई। यह सही है कि जब से इस देश में जनता पार्टी में किसान और कारखानेदारों के बीच संघर्ष छिड़ा है तब से जानबूझ कर किसानों, हरिजनों को लड़ाने के लिए कारखानेदारों और समर्थियों ने साक्षिण चला रखी है। (जयबघाल)।

श्री कल्याण शैल (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (जयबघाल)

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Jain, please take your seat. I do not know why you are standing. This is not the way. You cannot get up like that. Nothing that you say will go on record.

Dr. Sushila Nayar.

DR. SUSHILA NAYAR: I want to know under what rule are other people beside the five whose names have come in the ballot giving explanations and intervening in the call attention notice debate like this. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some Member took the name of Mr. Janeshwar Misra and somebody else. They are answering on personal explanation. That is the end of it. Now, Mr. Minister will answer to Mr. Gawal.

श्री अधिक सत्यनंदन : महोदय, मैंने जब इस घटना का वर्णन किया तो

उसमें मेरी कहीं बहु-मांगत नहीं की कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनका मैं सम्बन्ध कर रहा हूँ या उनका बचाव कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने गोली चलाई है और मारा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैंने केवल घटना का वर्णन किया था। यदि दोषार गिरा रहे थे या नहीं गिरा रहे थे, उनको बन्दूक चलाने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी कानून प्रपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था, यह स्पष्ट है और मैं इसको मानता हूँ।

जहाँ तक उन्होंने दूसरी बातें कही हैं कि देश भर में हुरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए जो भी सम्भव प्रयत्न है वह सभी उठाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और उसमें हम सभी माननीय सदस्यों और विरोध पक्ष के नेताओं का सहयोग चाहते हैं। क्योंकि यह इतना बड़ा काम है, जो बिना सब के सहयोग के सम्भव नहीं होगा और इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ—स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के बजाय, स्थिति को सौ-सामंजस बनाई जा सकती है—इस में सब के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री शिव नारायण सरस्वतिया : मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनको अनुग्रह राशि दे दी गई है, लेकिन बाद में उन्होंने यह कहा है कि प्राजडी जायेगी। जिन लोगों ने यह बलत रिपीट बनाया है, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री बालकृष्ण लाल नन्डल : मैंने कहा है कि 500-500 रुपया प्रति-व्यक्ति जो रेड-क्रास से-असाहाय, बहु-की-सी-ने के द्वारा है। इसके प्रति-रिक्त जिस राशि का ऐलान किया गया है, वह प्राज उन को दे दी जायेगी।

श्री धारं दलं कुरील : (मोहनलाल गंज) : प्रादेशीय उर्ध्वमहालय, हम कुछ एम० पी० ओर-वै-डी-को-भये थे।

हम ने बहुत स्थिति को बर्दाश्त और लोगों से पूछा। जैसा मैंने बताया है, मैं उन से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम को मान्य हुआ कि वह दोषार हुरिजनों के द्वारा नहीं गिराई गई, वह उन्हीं लोगों के द्वारा गिराई गई। लोगों से सारे के बाद जब उन्होंने देखा कि सब क्या बहाना लें, तो उन्होंने उस के बाद उस दोषार को गिरा दिया। हमें यह भी बताया गया कि रोहलक में जो मीटिंग हुई थी, उस के प्रोवोकेशन से वे लोग वहाँ आये, वहाँ आ कर गालियाँ दीं और उस के बाद गोलियाँ चलाईं। जसा मंत्री जी ने कहा कि वे दोषार गिरा रहे थे—यह बात सरासर झूठी है, इस में कोई सत्यता नहीं है। जहाँ तक प्रकृति तरह से जांच कराने की बात है—इस तरह की जांच तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ ही करती है, हमें में कोई विशेष बात नहीं है।

प्रब मेरा निवेदन है कि सेक्टर का तरफ से इस की इन्कवायरी की जाती चाहिए। आज हमारी मुद्दा है जंगल खतरे में है। यह केवल यहीं का काण्ड नहीं है, हम देखते हैं, लगातार हर दिन कहीं-कहीं ऐसे काण्ड हो रहे हैं। चूँकि हमारे वर्ग के लोग, गेडबुल्ड कास्टस और गेडबुल्ड ट्राइब्स के लोग, कीड़े-सर्पों की तरह से मरने के लिए पैदा हुए हैं—इसलिए यह कोई नई बात नहीं है—जहाँ तक हमारी समस्याओं का सवाल है—The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are for sale. बिस्की के लिये हैं। वहाँ पर हमें लोगों ने बताया—रात भर गोलियाँ चलीं। यहाँ बयान में बताया गया कि 6 राउण्ड बले, जबकि 10 निशान गोलियों के दोषार में हम ने स्वयं देखे। उन को गोलियों से छलनी कर दिया गया, दो बर्दाश्त किये, उन के हाथ-पैर काटे गये, ऐसा दुष्प्रचार वहाँ पर हुआ।

जिसके अन्तर्गत जहाँ-जहाँ भी जाय, वहाँ-वहाँ भी जाय, जहाँ-जहाँ भी जाय, वहाँ-वहाँ भी जाय। उनको जगह से, हर स्थिति में कितने फायर मार्शल्स उन के पास हैं, वे कितने फायर मार्शल्स जायें, न हीरोनी को जिये जाय और न किसी अन्य को दिए जाय। उन के बाद लाठी का मुकाबला वे कर लेंगे—इस में कोई सन्देह नहीं है। अगर आप वास्तव में उन को संरक्षण देना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के नाम से किसी भी तरह के मार्शल्स न दिये जायें। ये लोग सुरक्षा के नाम से मार्शल्स ले कर डकैतियाँ और कत्ल करवाते हैं। उन को उत्पीड़न करते हैं। हमने देखा है—जहाँ-जहाँ गेडयूल्ड फास्ट्स और गेडयूल्ड ट्राइम्स के लोग रहते हैं, उनको अपनी मर्जी के हिसाब से मारा जाता है, जब उनको मर्जी प्राती है, तब मारते हैं। इसलिए इनको रिवीजिटेट किया जाय। पापुलेशन के हिसाब से उनको प्रलंब जगह दे दी जाय, दो या तीन प्रान्तों में जिसमें से वे आते हैं, उनको जगह दे दी जाय। वहाँ पर हर एक चीज उनको दे दी जाय, आप हमें ऊपर दे दीजिए, देखसान दे दीजिए हमारे लोग मेहनत से उसको भी ठीक कर लेंगे, लेकिन वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन के हाथ में दीजिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में न होने से हमारे साथ न्याय नहीं होना है। जितने कानून बने हुए हैं—वे बड़े प्रादमियों के लिए हैं, गरीबों को उन से न्याय नहीं मिलता है, केवल पूंजे वालों को मिलता है। आज हमको कोई भी सिविलीटी हासिल नहीं है। हमारी रखा खतरे में है। हम आज गुनामी की तरह से जी रहे हैं। हमें सांख्यिक नहीं रहने दिया जाता है। आज हमें दखान नहीं मिलता जा रहा है। यह एक बात की ही बात नहीं है। कुत्ते, बिरिलियों को तरह से हमें मारा जा रहा है।

कितनी बिचम्बड़ा की बात है। हमारे ऊपर जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं तो उन पर क्यों नहीं आप विचार करते हैं? एक समय गौरे लोगों ने भारतीयों को काले लोग कहा था जिस पर सारा हिन्दुस्तान मरने तक के लिए उठ खड़ा हुआ था। सारे हिन्दुस्तान ने भ्राष्ट्रादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। आज हमारे ऊपर बारे हो रहे हैं, हम लोगों पर बुरम हो रहे हैं परन्तु फिर भी हम चुप हैं। इस समय सारा देश कोल्केनी के ऊपर खड़ा है। मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस पर विशेष ध्यान दें और इस भयानक स्थिति को रोके। अगर इस स्थिति को आज नहीं रोका गया तो एक दिन यह स्थिति और भी भयानक हो जायेगी। आज हरिजनों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप व्यवस्था करें जिससे भविष्य में इस तरह के कोई भी भ्रष्टाचार न हो, इस तरह से लोगों को न मारा जाय, यह मेरा निवेदन है। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होते रहे तो बहुत ही भयानक स्थिति आ जायेगी।

13 hrs.

मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ को क्या दिया गया? जब हम मोरखेडी जाने में पहुँचे तां मौलूम हुआ कि एक भी ऐसा किसी को नहीं मिलता। लोगों को एक भी खाना खाने को नहीं मिलता। वहाँ लोग मजबूरी करने भी नहीं जा सकते हैं। वहाँ प्रातक छाया हुआ है। आज उनकी रक्षा करती है। आज वहाँ के जाट लोग उनसे कह रहे हैं कि वहाँ से प्रसंग आधो, हम देखें कि कब तक वहाँ पर पुलिस पकी रहेंगी। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान

[जी सार० एल० करील]

दिया जाए और उनकी रक्षा करने का प्रावधान दिया जाए, प्रस्योरेंस दिया जाए ताकि मजिस्ट्रेट में दुबारा ऐसी घटना न घटे ।

जी जोरारजी बेताई : सब से पहले तो सम्मानित सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वही भाषा का प्रयोग वे न करें इससे किसी को मदद नहीं पहुंचेगी । वहां इतनी घमकियां थीं, ये वहां जा कर सुरक्षित कैसे वापस आये, यह मेरी समझ में नहीं आया । इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने से क्या फायदा है ? यह बात बहुत खराब हुई है । इस तरह से करना, बन्दूक मारना, बहुत खराब हुआ है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । लेकिन ऐसा कहना कि सारे हिन्दुस्तान में लोग साठियों से मुकाबला करेंगे, इस से क्या फायदा होगा ? इसलिए मेरा कहना है कि मेहरबानी करके ऐसी भाषा का प्रयोग ब करे और जो काम हम करना चाहते हैं, उस काम में हमारी मदद करें । यही मेरी उन से प्रार्थना है ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-FOURTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND LABOUR
(SHRI RAVINDRA VARMA): I move:

"That this House do agree with the Twenty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 24th August, 1978."

MR. DEPUTY SPEAKER: Just a minute. Shrimati Chandravati wants to make her personal explanation. Smt. Chandravati.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

—Contd.

REPORTED MURDER OF TWO HARIJANS HAVING BEEN SHOT DEAD IN VILLAGE MONEKHERI (HARYANA)—Contd.

श्रीमती चन्द्रावती (बिधानी) : जनाब मेरा नाम लिया गया । जनाब मैं कहना चाहती हूँ कि ला एण्ड घाबर की जिलती जिम्मेदारी है, जो ला एण्ड घाबर रखने के लिए जिम्मेदार है, अगर वे इसे नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दे दें ।

जनाब मैं जस्से के बारे में बताना चाहती हूँ । यह जल्दा बहुत ही प्रनप्रोबोकेटिव था । कई लोग वहां गये थे, धार० के० मिश्र भी गये थे, मैं भी वहां गई थी । किसी ने भी वहां कोई प्रोबोकेटिव स्पीच नहीं दी । गांव के लोग गरीब हैं, वे भी जिन्दा रहना चाहते हैं । उन लोगों का गन्ना सस्ता बिका, कपास सस्ती बिकी । तम्बाकू सस्ती बिकी । उन्होंने एजेंटेशन किया है कि उनके ठीक भाव मिलें । लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ—

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सजेसन देना था दे दिया है ।

श्रीमती चन्द्रावती : कुछ पूजीपतियों के प्रबन्धकार हैं, उनके एजेंट हैं जो चाहते हैं कि गांव की जो कम्युनिटीज हैं वे आपस में लड़ें । उन में घृणा पैदा की जाए । गांव में चमार हैं, बनिया हैं, ग्रहीर हैं, ब्राह्मण हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं वे वहां सचियों से बसती आ रही हैं । हमारे दाड़े परदावे वहां जस्से के और हम सब वहां बसे हुए हैं । लेकिन आज एक पंडितकुमार संगठन है कुछ लोग हैं जो वहां बैर भाव फैला रहे हैं, इस संगठन को बन्द होना